श्री जीत राम कटवाल व श्री नरेन्द्र ठाकुर द्वारा नियम–101 के अन्तर्गत उठाये गये मामले का विवरणः–

"श्रीमद भगवत् गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने बारे यह सदन विचार करे।"

मननीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय विधायकों द्वारा उठाये गये उपरोक्त मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार से है :–

श्रीमद भगवत् गीता को हिमाचल प्रदेश स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु प्रस्ताव सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला एवं प्रधानाचार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन को परीक्षण करने हेतु भेजा गया था जिन पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने का दायित्व प्रदान किया हुआ है। इस सम्बन्ध में उक्त संस्थाओं द्वारा अवगत करवाया गया है कि **श्रीमद भगवत् गीता** को पहले से ही कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है जो कि संस्कृत विषय में कर्मगौर्वम अध्याय के रूप में शामिल किया गया है।

*****